जिलाः–शिवहर

न्यायालयः–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, शिवहर।

अपराधिक अपील सं0–04/2023

उपस्थितः–श्री महेश कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश,
शिवहर।

शिवहर, दिनांक–24वीं मार्च 2026

1. **नन्द किशोर प्रसाद** पिता स्व0 शिवजी साह, उम्र लगभग 57 वर्ष।

2. **जय प्रकाश कुमार** पिता नन्द किशोर प्रसाद उम्र लगभग 27 वर्ष।

3. **ओम प्रकाश कुमार** पिता नन्द किशोर प्रसाद उम्र लगभग 32 वर्ष।

सभी सा0 शिवहर, वार्ड नं0–06, थाना–शिवहर, जिला–शिवहर .... अपीलकर्तागण/अभियुक्तगण।

बनाम

1. बिहार सरकार .... उत्तरवादी प्रथम पक्ष।

2. धनन्जय कुमार पिता कपिलदेव साह, सा0 शिवहर, वार्ड नं0–13, थाना–शिवहर, जिला–शिवहर .... उत्तरवादी द्वितीय पक्ष।

संदर्भः– शिवहर थाना कांड सं0–205/2015,
जी0आर0नं0–613/2015, विचारण सं0–185/2023
आरोप अंतर्गत धारा–323/34 एवं 325/34 भा0द0वि0।

न्यायालयः–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, शिवहर।

उपस्थितः–श्री महेश कुमार

अपराधिक अपील सं0–04/2023

अपीलकर्ता की ओर सेः–श्री मनोज कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
उत्तरवादी सं0–01, बिहार सरकार की ओर सेः–श्री पवन कुमार मिश्र, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

उत्तरवादी सं0–02 की ओर सेः–•XXXXX•

निर्णय

1. प्रस्तुत अपराधिक अपील अपीलकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा रंजीत कुमार–1 विद्वान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर पारित निर्णय दिनांक–14.02.2023 जी0आर0नं0– 613/2015, विचारण सं0–185/2023 में अभियुक्तगण 1. नंद किशोर प्रसाद 2. जय प्रकाश कुमार एवं 3. ओम प्रकाश कुमार को धारा–323/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए छः मास का सधारण कारावास से दंडित किया गया है तथा धारा–325/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए प्रत्येक दोष सिद्ध व्यक्ति 1. नंद किशोर प्रसाद, 2. ओम प्रकाश कुमार एवं 3. जय प्रकाश कुमार को दो वर्ष छः मास के लिए सधारण कारावास के दंड से दंडित किया गया है। प्रत्येक दोष सिद्ध अपराधियों के लिए दोनों सजा साथ–साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा। उसी निर्णय एवं दण्डादेश से विक्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर अपीलकर्तागण/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–14.02.2023 अपास्त(Set-a-side) करने हेतु लाया गया है।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–27.09.2015 दिन रविवार समय रात्रि 08:00 बजे सूचक धनंजय कुमार के बड़े भाई संजय कुमार अपने दुकान राजलक्ष्मी ज्वेलर्स(गाँधी चौक सोनारपट्टी) शिवहर पर बैठा था। उसी बीच नन्द किशोर प्रसाद, ओम प्रकाश कुमार, एवं जय प्रकाश कुमार एवं दो–तीन आदमी जिसको सूचक के बड़े भाई पहचान सकते थें, नाम नहीं जानते थें। सभी आदमी सूचक क दुकान पर आये एवं गाली–गलौज करने लगे। जब सूचक के बड़े भाई गाली–गलौज करने से मना किए तो उन लोगों ने अपने हाथ में लिए लाठी–डंडा, रड से सूचक के बड़े भाई को दुकान से बहार खींचकर लाठी, रड से मारने लगे। मारने के क्रम में सूचक के बड़े भाई बेहोश हेा कर गिर गये। हल्ला पर सूचक दौड़

24.03.26

कर अपने बड़े भाई के दुकान पर आये तो तब तक मारपीट कर सभी मुदालह धमकी देते हुए चले गये। सूचक लोग अपने बड़े भाई को ईलाज हेतु सदर अस्पताल लाये जहाँ उन्हें बेहतर ईलाज के लिए मुज्फ्फरपुर रेफर कर दिया गया। जहाँ उसकी स्थिति चिंताजनक थी। सूचक के बड़े भाई के गले से सोने के चेन, जिसका वजन 15 ग्राम कीमत चालीस हजार रूपये के लगभग था तथा पॉकेट से पाँच हजार रूपया निकाल लिया गया। इसी आधार पर कांड दर्ज हुआ।

3. अपीलकर्ता/अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो ग्राउण्ड समर्पित किया गया है कि जिला न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश कानून के दृष्टि से गलत तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है, घटना रात्रिकाल में घटी थी और अभियुक्तों के उचित पहचान के लिए प्रकाश के स्रोत का कोई खुलासा नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष के गवाहन अत्यंत संबंधित और हितधारक व्यक्ति हैं और अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं आया है। दोनों पक्षों के बीच दिवानी मुकदमा पहले से ही संबंधित है, जो अपीलकर्तागण को झूठा फँसाने का अच्छा कारण बना। अभियोजन सं0–05, जो डॉक्टर है, ने बयान दिया है कि इस काण्ड के घायल व्यक्ति के शरीर पर पाई गई चोट गिरने से संभव है, उक्त साक्षी ने आगे बयान दिया है कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि घायल व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी और ऐसी साक्ष्यों को देखते हुए धारा–325 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं है। सजा के बिन्दु पर दिये गये फेसलो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–360 और धारा–360(1) सी0आर0पी0सी0 के आवेदन पर विचार नहीं किया गया और उक्त निर्णय में दोषी को परिवीक्षण पर रिहा करने के लिए धारा–360 सी0आर0पी0सी0 का लाभ न देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अतः निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–14.02.2023 अपास्त किया जाए।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–14.02.2023 विधि सम्मत एवं वैध है, जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के

आचार पर निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अतः निवेदन किया गया है अपीलकर्ता/अभियुक्तगण द्वारा दाखिल प्रस्तुत अपराधिक अपील खारिज किया जाये।

5. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय श्री रंजीत कुमार–1, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–14.02.2023 बैध है अथवा अपास्त(Set-a-side) करने योग्य है?

मन्तव्य

6. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में कुल पाँच साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परिक्षीत कराया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

अभियोजन साक्षी सं0–01	रामा शंकर सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–02	राम बाबु सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–03	धनंजय कुमार(स्वयं सूचक)
अभियोजन साक्षी सं0–04	संजय कुमार सोनी(सूचक के भाई एवं पीड़ित)
अभियोजन साक्षी सं0–05	डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा

7. अभियोजन की ओर से अपने दावे के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्ताबेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

प्रदर्श–1	प्राथमिकी के आवेदन पर गवाह राम शंकर सिंह का हस्ताक्षर।
प्रदर्श–1/1	प्राथमिकी के आवेदन पर सूचक धनंजय कुमार का हस्ताक्षर
प्रदर्श–2	पीड़ित संजय कुमार सोनी का जख्म प्रतिवेदन।
प्रदर्श–2/1	पीड़ित संजय कुमार सोनी का पूरक जख्म प्रतिवेदन।

8. बचाव पक्ष की ओर से अपने दावे के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

प्रदर्श–ए	परिवाद पत्र सं0–380/2015 की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–बी	परिवाद पत्र सं0–380/2015 में पारित संज्ञान आदेश की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–सी	शिवहर थाना कांड सं0–232/2015 की औपचारिक प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–डी	शिवहर थाना कांड सं0–232/2015 का आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–ई	शिवहर थाना कांड सं0–232/2015 में पारित संज्ञान आदेश

	की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–एफ	शिवहर थाना कांड सं0–94/2014 की प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति।
प्रदर्श–जी	शिवहर थाना कांड सं0–94/2014 का आरोप– पत्र की प्रमाणित प्रति एवं
प्रदर्श–एच	हकीयत वाद सं0–97/2015 के अर्जीदावी की प्रमाणित प्रति।

9. अभियोजन साक्षी सं0–01 रामाशंकर सिंह है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना–27.09.2015 की है। 08 बजे शाम की घटना है। मैं जीरो माईल बाजार से राजलक्ष्मी दुकान के पास पहुँचे तो संजय सोनी को नंद किशेर, ओम प्रकाश, जय प्रकार सभी लोग गाली–गलौज कर रहे थें। लाठी–डंडा से मार रहे थें। नाक पर चोट लगने से खुन बह रहा था। सोने का चेन एवं 5000/–रूपया ओम प्रकाश निकाल लिया। सदर अस्पताल से मुजफफ्रपुर रेफर कर दिया गया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कथनों में कोई उल्लेखनीय बात नहीं बताया है।

10. अभियोजन साक्षी सं0–02 राम बाबु साह है ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना लगभग तीन साल पहले समय 08:20 बजे रात की है, मैं राजलक्ष्मी ज्वलर्स की दुकान पर था। नंद किशोर, राज किशोर, ओम प्रकाश तीनो आए और दुकान से खींच कर संजय सिंह को रड और लाठी से मारने लगे। बेहोश होकर वे गिर गए। हम लोग बचाने गये तो मुदालय भाग गए। फिर संजय सिंह को ठेला पर लादकर शिवहर अस्पताल ले गए। वहॉं ईलाज के बाद मुजफ्फरपुर ईलाज के लिए रेफर कर दिया। फिर हमलोग चले आए। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–06 में कहा है कि मैं सुबह 09 बजे धनंजय की दुकान पर आता हूँ और दुकान बंद होने के बाद जाता हूँ। कथित घटना के दिन मेरा रूटीन वही था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–08 में कहा है कि मुझे दुकान पर 09 बजे पहुँचने के एक घंटा बाद लगभग 10:00–10:30 बजे अभियुक्तगण पहुँचे। मैने कथित घटना में रोज जब दुकान पर पहुँचा तो संजय कुमार सोनी के अलावा और किसी को जख्मी नहीं देखा। उक्त साक्षी में अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–09 में कहा है कि संजय कुमार सोनी के चेहरा पर खून बहते देखा। चेहरे के उपर कोई जख्म नहीं था। माथा फाड़ दिया था। पुनः कहते हैं कि वांसा(नाक के उपर का पोर्शन) फाड़

दिया था। चेहरा नहीं देखा था इसलिए नहीं बता सकता कि चेहरा पर कहाँ जख्म था।

11. अभियोजन साक्षी सं0—03 धनंजय कुमार सिंह है, जो स्वयं सूचक भी है ने अपने परीक्षण में कहा है कि दिनांक—27.09.2015 दिन रविवार की घटना है। लगभग 08:30 बजे रात्रि की बात है, मैं अपने दुकान राजलक्ष्मी ज्वेलर्स पर था। मैं और मेरा भाई संजय कुमार दुकान पर बैठे थे तब नंद किशोर प्रसाद, जय प्रकाश, ओम प्रकाश तथा एक—दो लोग जिसे पहचान सकते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं। मेरे दुकान पर मेरे बड़े भाई से गाली—गलौज साला, बहनचोद बगैरह गाली देने लगा। मेरे भाई ने गाली देने से मना किया तो नंद किशोर प्रसाद, जय प्रकाश, ओम प्रकाश तथा दो—तीन लोग ने मेरे दुकान से खींच कर बाहर ले जाकर लाठी ओम प्रकाश, जय प्रकाश के हाथ में और नंद किशोर प्रसाद के हाथ में लोहे के रड से मेरे बड़े भाई संजय कुमार को सर पर प्रहार किये। उसके बाद भैया के नाक से खून बहने लगा, जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। हमला करने पर लोग इक्ठ्ठा हो गये। दुकान से दौड़कर रामा शंकर सिंह, हमारे पिता कपिलदेव साह, विजय सोनी मेरे दुकान पर आये तबतक इन लोगो ने मरे भैया के गले से सोने का चेन ओम प्रकाश ने जिसका कीमत 40,000/—रूपया तथा पॉकेट से ओम प्रकाश ने 5000/—रूपया ले लिया तथा धमकी देते हुए भाग गये। भैया को उठाकर सदर अस्पताल शिवहर ले गये। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। इसलिए बेहतर ईलाज हेतु मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। मीनाक्षी हॉस्पीटल में भर्ती कराया। लगभग 20—22 दिन ईलाज हुआ। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका—04 में कहा है कि मेरे अभियुक्तों के बीच पहले से मुकदमा चल रहा है। इस घटना तिथि से पहले से इस मुकदमा के पहले अभियुक्तों द्वारा एक या दो मेरे उपर फौजीदारी का किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका—14 में कहा है कि घटनास्थल से लेकर मीनाक्षी हॉस्पीटल में भर्ती होने तक मेरा भाई बेहोश रहें। लगभग 12:30 बजे रात्रि में उनको होश आयी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका—16 में कहा है कि ईलाज कराने से पहले थाना नहीं गये और न ही अस्पताल से कोई सूचना दिया था। पुलिस को घटना के एक हफ्ता बाद मेरा बयान पुलिस के समक्ष हुआ था। उक्त साक्षी ने अपने

प्रतिपरीक्षण के कंडिका-17 में कहा है कि पुलिस ने मेरे समक्ष किसी और का बयान नहीं लिया था। थाना में बयान लिया था। उस दिन पुलिस को मैने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-18 में कहा है कि थाना पर मेरा बयान के दौरान पुलिस ने मेरा कोई दस्तखत या निशान नहीं लिया था।

12. अभियोजन साक्षी सं0-04 संजय कुमार सोनी है, जो स्वयं पीड़िता एवं जख्मी है। ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 27. 09.2025 के दिन रविवार के रात्रि करीब 08:00 बजे की है। मैं अपने दुकान पर भाई धनंजय के साथ बैठा था। नंद किशोर प्रसाद, जय प्रकाश, ओम प्रकाश तथा कुछ अन्य लोग आये थे एवं मुझे दुकान से बाहर खींच लिए। सभी लोग मुझे रड एवं लप्पड़-थप्पड़ से मारपीट करने लगे। मारने पर मेरा नाक का हड्डी टुट गया। मेरी नाक पर जय प्रकाश ने लाठी से मारा था। मेरा चेहरा पर भी मारा था, सर पर भी मारा था, जिससे सर फुट गया था। मेरे गले से सोने का चेन तीनों आदमी निकाल लिया। रूपया पचास हजार रूपया जय प्रकाश ने ले लिया। मैं बेहोश हो गया था। पहले सदर अस्पताल गया था। फिर वहॉं से रेफर कर दिया गया। पटना में ईलाज चला था। 20-25 दिन पटना में रहाथा। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 09 में कहा है कि इस केस से पूर्व नंद किशोर प्रसाद ने मेरे उपर केस कर रखा है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-12 में कहा है कि शिवहर थाना में मैं बयान दिया घटनास्थल पर मैं होश में था। थाना पर भी होश में था। लेकिन अस्पताल जात समय बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-13 में कहा है कि मुझे याद नहीं है कि घटना के बाद पुलिस घर पर आकर मेरा बयान ली थी या नहीं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-14 में कहा है कि मेरी बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था। मेरी बयान क बाद मेरा हस्ताक्षर नहीं हुआ था।

13. अभियोजन साक्षी सं0-05 डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा है, जिन्होंने अपने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जख्मी संजय कुमार सोनी के जख्म का परीक्षण किया गया है, जख्मी संजय कुमार सोनी के जख्म प्रतिवेदन को उक्त साक्षी के पहचान पर प्रदर्श-2 अंकित किया गया है तथा पूरक जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श-2/1 अंकित किया गया है। उक्त जख्म

प्रतिवेदन प्रदर्श–2 एवं 2/1 के अनुसार जख्मी संजय कुमार सोनी के नाम से खून का बहना और दोनों आँख के भौर पर कटै छिटे का जख्म पाया गया। जख्म का जाँच घटना की रात्रि दिनांक–27.09.2015 के 08:20 पर किया गया। जख्म की अवधि 06 घंटे के अंदर बताया गया है। जख्म कठोर एवं भोथर वस्तु से कारित किया गया है। दोनों आँखों के भौ पर छिले कटे का जख्म पाया गया है। जख्म की प्रकृति साधारण बताई गई है तथा पूरक जख्म प्रतिवेदन प्रदर्श–2/1 में गंभीर प्रकृति का पाया गया है तथा नाक की हड्डी का टुटना भी बताया गया है। परन्तु उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–10 में कहा है कि इस तरह का जख्म गिर के भी हो सकता है, उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–11 में कहा है कि मैं कन्फर्म नहीं बता सकता हूँ कि उस समय जख्म गंभीर था या नहीं ?

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक लोक अभियोजक का साविस्तार बहस सुना गया तथा अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–14.02.2023 एंव सभी साक्षियों के अभिसाक्ष्य का तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। परिशीलन किए जाने के पश्चात प्रकट होता है कि सभी साक्षियों ने अभियुक्तों की पहचान किया है तथा घटनास्थल एवं घटना का समय बताया है, परन्तु पीड़ित के भाई धनंजय कुमार द्वारा दिये गये लिखित आवेदन जो प्रदर्श–1/1 है। में स्पष्ट कहा हे कि "उनलोगो ने अपने हाथ में लिए लाठी, रड से मेरे भाई को दुकान से बाहर खींच कर लाठी, रड से मारने लगे मारने के कम में वे बेहोश हो कर गिर गए, परन्तु अभियोजन साक्षी सं0–04 जो स्वयं जख्मी संजय कुमार सोनी है ने अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के कंडिका–12 में कहा है कि शिवहर थाना में मैं बयान दिया था घटनास्थल पर मैं होश में था। थाना पर भी मैं होश में था। लेकिन अस्पताल जाते समय बेहोश हो गया।" इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में थोड़ी बहुत भिन्नता के वाबजुद भी एकरुपता है तथा सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है, चिकित्सक साक्षी ने भी पीड़ित जख्मी के शरीर पर जख्म पाया है। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–ए से प्रदर्श–एच तक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच जमीन को लेकर दीवानी विवाद है और कई

अपराधिक मुकदमा हुआ है। इस वाद में अनुसंधानकर्ता जैसे महत्वपूर्ण साक्षी निम्न न्यायालय में परीक्षित नहीं हुए हैं।

15. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनोपरांत मैं पाता हूँ कि श्री रंजीत कुमार–1 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक–14.02.2023 जिसमें विचारण सभी तीनों अभियुक्तों क्रमशः 1. नंद किशोर प्रसाद 2. ओम प्रकाश कुमार एवं 3. जय प्रकाश को भा0द0वि0 की धारा–341, 504, 34 के अंतर्गत निर्दोष पा कर रिहा किया गया है, जो न्यायसंगत प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परन्तु जहाँ तक धारा–323/34, 325/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तीनो अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा–323/34 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए 06 माह का सधारण कारावास का दंड से दण्डित किया गया है तथा भा0द0वि0 की धारा–325/34 के अंतर्गत अपराध के लिए उक्त सभी तीनों अभियुक्तों को दो वर्ष 06 माह के सधारण कारावास का दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रत्येक दोषसिद्धि व्यक्ति के लिए दोनों सजा साथ–साथ चलेगी। अगर कोई दोषसिद्धि व्यक्ति प्रस्तुत वाद के अंतर्गत पूर्व में काराधीन रहा हो तो वह अवधि उस दोषसिद्धि व्यक्ति के सजा की अवधि में मिन्हा कर दिया जायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता/अभियुक्तगण 1. नंद किशोर प्रसाद 2. जय प्रकाश कुमार एवं 3. ओम प्रकाश कुमार को भा0द0वि0 की धारा–323/34 एवं 325/34 में जो दोष सिद्धि किया गया है, वह उचित प्रतीत होता है। लेकिन जो उनके विरुद्ध दण्डादेश पारित किया गया है, उसमें संशोधन(Modification) किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

16. इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक–21.01.2025 से प्रोवेशन पदाधिकारी, शिवहर से उक्त तीनों अपीलकर्तागण/अभियुक्त के आचरण क संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अभिलेख पर प्राप्त है तथा बाद लिफाफ में है, जिसे निर्णय लिखने के क्रम में खोल कर अवलोकन किया गया, जो निम्नलिखित प्रतिवेदन हैः–

i. अपीलकर्ता अभियुक्त नंद किशोर के संबंध पत्र में प्रोवेशन पदाधिकरी द्वारा अपने पत्रांक–96 दिनांक–27.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया

है कि "स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के अनुसार अभियुक्त का इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीण वासियों ने अभियुक्त के आचरण को समान्य बताया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अभियुक्त नंद किशोर प्रसाद पर अपने पड़ोसी संजय कुमार पिता कपिलदेव साह के साथ जमीन को लेकर मारपीट का आरोप है। अतः दोनों पक्षों के बीच विवाद होने का मुख्य कारण जमीन का विवाद था।

ii. अपीलकर्ता अभियुक्त जय प्रकाश कुमार के संबंध में प्रोवेशन पदाधिकारी अपने पत्रांक–98, दिनांक–27.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि स्थानीय ग्रामीणों से पुछताछ के अनुसार अभियुक्त पर इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद पूर्व में नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई। स्थानीय ग्रामीण वासियों ने अभियुक्त के आचरण को समान्य बताया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अभियुक्त जय प्रकाश कुमार पर अपने पड़ोसी संजय कुमार पिता कपिलदेव साह के साथ जमीन को लेकर मारपीट का आरोप है। अतः दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की मुख्य कारण जमीन का विवाद था।

iii. अपीलकर्ता/अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार के संबंध में प्रोवेशन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–97 दिनांक–27.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि स्थानीय ग्रामीणों से पुछताछ के अनुसार अभियुक्त पर इस वाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद पूर्व में नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई। स्थानीय ग्रामीण वासियों ने अभियुक्त ओम प्रकाश के आचरण को समान्य बताया है। ग्रामीणों ने बताया है कि अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार पर अपने पड़ोसी संजय कुमार पिता कपिलदेव साह के साथ जमीन को लेकर मारपीट का आरोप है। अतः दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की मुख्य कारण जमीन का विवाद था।

17. अतः उपयुक्त तथ्या परिस्थिति, विवेचना एवं प्रोवेशन पदाधिकारी शिवहर के प्रतिवेदन के आलोक में सभी अपीलकर्ता/अभियुक्तगण नंद किशोर प्रसाद, जय प्रकाश कुमार एवं ओम प्रकाश कुमार का यह प्रथम अपराध है तथा उभय पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद एवं कई कित्ता अपराधिक मुकदमा हुआ है, जो प्रदर्श–ए से एच तक से प्रतीत होता है। इसलिए उपरोक्त सभी अपीलकर्तागण/ अभियुक्तगण को कारा की सजा से दण्ड दिए जाने के बजाय उसे परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 का

लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–323/34 भा0द0वि0 दिए गये दण्डादेश 06 माह को एवं धारा–325/34 भा0द0वि0 में दिये गए दण्डादेश दो वर्ष 06 माह को परिवर्तित करते हुए उक्त सभी दोषसिद्ध अपीलकर्तागण/अभियुक्तगण को अपराधिक परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा–4 के अंतर्गत उस न्यायालय में सम्यक भर्त्सना के पश्चात मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में पुनः ऐसी अपराधों की पुनरावृति नहीं करेंगे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इन्हीं संशोधन (Modification) के साथ अधीनस्थ न्यायालय श्री रंजीत कुमार–1 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर या उनके उत्तराधिकारी न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी दोषसिद्ध/अपीलकर्तागण क्रमशः 1. नंद किशोर प्रसाद, 2. जय प्रकाश कुमार एवं 3. ओम प्रकाश कुमार को नोटिश निर्गत कर उपस्थित कराए तथा उपस्थिति के पश्चात उक्त दोषसिद्ध/ अपीलकर्तागण को अपराधी परीविक्षा अधिनियत–1958 की धारा–4 के अंतर्गत बॉण्ड (मुचलका) लेकर कि ऐसे अपराधों का पुनरावृति नहीं करेंगे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे के पश्चात सम्यक भर्त्सना के पश्चात मुक्त करें। इन्हीं संशोधन(Modification) के साथ प्रस्तुत अपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। तदुनसार प्रस्तुत अपराधिक अपील को निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय मूल अभिलेख तथा निर्णय की एक प्रति को निम्न न्यायालय श्री रंजीत कुमार–1 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर या उनके उत्तराधिकारी न्यायालय को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु अविलम्ब भेजे।

भाषित एवं संशोधित

Mahesh Kumar

जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश–
न्यायधीश–
प्रथम–सह–विशेष न्यायधीश,
शिवहर।
दिनांक–24.03.2026

Mahesh Kumar

जिला एवं अपर सत्र
M
प्रथम–सह–विशेष न्यायधीश,
शिवहर।
दिनांक–24.03.2026